

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर**  
क्रमांक:-नर्सिंग/जोन-बीकानेर/एसीपी/577/2025/97 दिनांक:- 18.02.2025

**--:आदेश:-**

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 20 (1) एफ.डी. (ग्रुप-2) 92 दिनांक 25.01.1992 एवं एफ.14 (1) एफ.डी(नियम)/2013-11 दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंग कर्मियों जिन्होंने 9/18 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार चयनित वेतनमान स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	देय पे बन्ड/वर्तमान में प्राप्त वेतन शृंखला	देय पे ग्रेड/देय पे वेतन शृंखला
1.	सुनीता सोनी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	बीकानेर	02.03.2009	02.03.2018 09 वर्ष	एल-08	एल-10
2.	मुन्नी, नर्सिंग ऑफिसर	श्रीगंगानगर	म0स्वा0का0 16.08.2005 नर्सिंग ऑफिसर 11.12.2021	16.08.2023 18 वर्ष	एल-11	एल-12

नोट- 1. उक्त कर्मचारी के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है, तो नियमानुसार यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर  
दिनांक:- 18.02.2025

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन-बीकानेर/एसीपी/577/2025/97

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन बीकानेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर/श्रीगंगानगर।
3. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
5. रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :18-02-2025 02:17:30